न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :–अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या –187 / 2025

बनाम

प्रार्थीगण

1. लुणाखान पुत्र ईधल जाति मुसलमान कुम्हार निवासी सियाणी तहसील रामसर।

विप्रार्थी

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 19.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौज़ा सियाणी पटवार मण्डल सियाणी के खसरा संख्या 451 / 218, 452 / 218, 463 / 311 में प्रार्थी द्वारा 1 / 3 हिंस्सा भूमि दिनांक 30.07.2019 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान द्वारा कय की गई। बेचान पत्र में जाति मुसलमान कुम्हार लिखी हुई है लेकिन ऑनलाइन करते समय मिरासी दर्ज कर दी गई जिसे दुरस्त हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा सियाणी पटवार मण्डल सियाणी के खसरा संख्या 451 / 218, 452 / 218, 463 / 311 में प्रार्थी की जाति मिरासी के स्थान पर मुसलमान कुम्हार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक **19.05..2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 19.05.2025

कमांक : रीडर / 2025 / 697-98

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी लुणाखान पुत्र ईधल जाति मुसलमान कुम्हार निवासी सियाणी तहसील रामसर।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर